न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कसोटिया (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 30/2022

अपीलाण्ट –

मुसे खॉ पुत्र भीखे खॉ जाति मुसलमान निवासी रोहिला खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर ।

बनाम

रेस्पोडेण्ट –

1. सुभान खॉ पुत्र कासम खॉ निवासी रोहिला खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत जानादेसर तहसील लूणी जिला जोधपुर।

यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरकरण सख्या 250 ग्राम खेजडा नाडा ग्राम पंचायत जानादेसर द्वारा दिनांक 5.2.2022 स्वीकृत किया गया, के विरूद्व पेश की ।

उपस्थिति – 1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिह राजपुरोति।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता उर्जाराम पटेल।

दिनांक 31.07.2023

निर्णय

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा संख्या 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, ग्राम खेजडानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर में आयी हुई है । अब्दुल रज्जाक वगैरा बनाम सुभान खान का हकतर्कनामा के तहत आवेदन करने पर आरपीजी पटवारी द्वारा ऑनलाईन नामान्तरण दर्ज किया, जो ऑनलाईन नामान्तरण का प्रिन्ट निकालते समय त्रुटिवश सम्पूर्ण खाता सुभान खॉ पुत्र कासम खॉ नाम दर्ज हो गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गयी है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । तहसीलदार झंवर से उक्त रिपोर्ट मंगवायी एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उर्जाराम ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एंव अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया की अपीलार्थी को पटवारी ने बताया कि गांव खेजडानाडा में उसकी भूमि खसरा संख्या 253, 254, 255, 256, 257, 258 ,259, 260, 261, 262, 263, उसके हिस्से का नामान्तरण गलती से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकार कर दिया इस कारण अपीलार्थी को उक्त अपील पेश करनी पडी । अपीलार्थी की भूमि में सहखातेदार था आज भी विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त है, बहस के अंत में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त करने की इस्तदुआ की गयी ।

रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रस्तुत नही किया । तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट अनुसार आदेश करने की मंशा जाहिर की गयी।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया अपील का गुणावगुण उन पर निर्णय करने से पहले धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलाण्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में बतलाया की अपीलार्थी एक अनपढ, वृद्व ग्रामीण काश्तकार है एंव न्यायिक प्रकिया से अनभिज्ञ होने की वजह से इस संबध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है इसलिये उक्त अपील देरी से पेश की गयी है। रेस्पोडेण्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही करने एंव अपील में हुई देरी का अपीलाण्ट के पास न्यायोचित कारण होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि अपीलार्थी की कृषि भूमि ग्राम खेजडानाडा में खसरा संख्या 253, 254, 255 ,256, 257 ,258, 259, 260, 261, 262, 263, स्थित है । यदि अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का पुनः राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की कोई आपति नही है । अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 250 ग्राम खेजडानाडा ग्राम पंचायत जानादेसर द्वारा दिनांक 5.2.2022 को स्वीकृत किया गया है उसे निरस्त किया जाता है । ग्राम पंचायत जानादेसर को निर्देश दिया जाता है कि माफिक आदेश अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे तथा त्रुटिवश सम्पूर्ण खाता पुन नामान्तरकरण दर्ज कर आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कंसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लूणी, जिला जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner